



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18072024-255526
CG-DL-E-18072024-255526

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2696]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 18, 2024/आषाढ 27, 1946

No. 2696]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 18, 2024/ASHADHA 27, 1946

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2024

का. आ. 2833(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23चड.) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ग) के उपखंड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित, का.आ. सं. 1673(अ) दिनांक 22 अप्रैल, 2021 (अधिसूचना सं. 35/2021/फा. सं. 370142/38/2020-टीपीएल), राजस्व विभाग (के.प्र.क.बोर्ड) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में आगे, 1 अप्रैल 2024, से इस अधिसूचना में सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख तक किए गए या किए जाने से छूट गए कार्यों के संबंध में, निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, प्रारंभिक पैराग्राफ में, “31 मार्च, 2024 ” के अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर “31 मार्च, 2025 के अंक, अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 57/2024/फा. सं. 500/विविध/एस10(23चड)/एफटीएंडटीआर-II]

अपूर्व तिवारी, अवर सचिव

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड(ii) में, का.आ. सं. 1673(अ) दिनांक 22 अप्रैल, 2021 के तहत प्रकाशित किया गया था तदनन्तर, अधिसूचना सं. 1841(अ) दिनांक 10 मई, 2021, के तहत संशोधित किया गया था।